भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2633

जिसका उत्तर 4 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

13 श्रावण, 1943 (शक)

साइबर अपराध में वृद्धि

2633. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजता के उल्लंघन और धोखघड़ी से संबंधित साइबर अपराधों के बढ़े मामलों को संज्ञान में लिया है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार डिजिटल क्षेत्र हेतु डाटा सुरक्षा और निजता से संबंधित विधेयक प्रस्तुत करना है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क): गुमनामी युगमित इंटरनेट के तेजी से विकास के साथ-साथ साइबर अपराध बढ़ा है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) द्वारा रिपोर्ट की गई और ट्रैक की गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018, 2019, 2020 और 2021 (जून तक) के दौरान क्रमशः कुल 454, 472, 280 और 138 फ़िशिंग घटनाएं देखी गईं। इसके अलावा, वर्ष 2018, 2019, 2020 और 2021 (जून तक) के दौरान एटीएम, कार्ड, प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) सिस्टम और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) को प्रभावित करने वाली क्रमश कुल 6, 4, 4 और 4 वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आई हैं।

(ख) और (ग): इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 11 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 पेश किया गया था। विधेयक व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। विधेयक संसद की संयुक्त समिति के पास विचाराधीन है।

****